

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), बूंदी

क्रमांक: AS/ORRA22-23/112

दिनांक: 14/03/2023

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/BUN/0006151

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंखा सहित प्राप्त लिम्न बाढ़ के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अर्थात् 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार बाढ़से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता करुप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/BUND/ 2023/0512 23	नाम: Rajendra Prasadपिता का नाम: Chandrabhanजिला: बूंदी	0, KHAKTA, इन्द्रगढ़, पंचायत समिति -केशोराय पाटन, ग्राम पंचायत -माखीदा, गाँव - खाकटा	23/08/2022	बाढ़	कैटलशेड क्षति	2100
2	AR/BUND/ 2023/0503 91	नाम: Dyaramपिता का नाम: Bisanaजिला: बूंदी	00, KHAKTA, इन्द्रगढ़, पंचायत समिति -केशोराय पाटन, ग्राम पंचायत -माखीदा, गाँव - खाकटा	23/08/2022	बाढ़	कैटलशेड क्षति	2100
योग							4200

इस राशि का व्यय लिम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-117-(02)-1011-12

जिला कलेक्टर  
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
बूंदी

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिनिधि-निम्नान्कितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सभ्भागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, बूंदी।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, बूंदी।
7. रोकडपाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभागीय अधिकारी  
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
बूंदी